कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No., 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023–24/ 8694 दिनांक 8-11-24

निमित्त:–

सभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :– पाटडी से भटगांव सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/42427/20219 (1.5ha)

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,FCAनोडल अधिकारी राज0 जयपुर के पत्र कमांक 1264 दिनांक 22.05.2024 एवं आपका पत्र कमांक 25.10.2024 तथा इस कार्यालय का पत्र कमांक 8484 दिनांक 24.10.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृती दिनाक 22.07.2010 को जारी हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृती की पालना रिपोर्ट 5 वर्षो के उरान्त भी नही भिजवाने के कारण भारत सरकार पर्यावरण एव वन मंत्रालय लखनऊ के पत्र कमांक 8 बी /राज/06/11/2008/ 976 दिनांक 9.11.2015 द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृती को रदद कर दी गई।

भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 21.05.2018 से यूजर एजेन्सी द्वारा नवीन प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये है। Proposal no.FP/RJ/ROAD/42427/20219 (1.5ha)

परन्तु उक्त प्रकरण में प्रस्तावित स्थल पर अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. छबडा के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के मौके पर दिनांक 26.05.2008 को निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आने के कारण अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. छबडा जिसके विरूद्ध FIR न0 120-37 दिनांक 26.05.2008 को प्रकरण दर्ज कर निर्माण कार्य बन्द करवा दिया गया जिसमें तत समय जुर्माना राशि वसूल नही की गई थी। वर्तमान में सडक का निर्माण कार्य बन्द है

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर के संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में नवीन (वर्तमान) वन संरक्षण एवं सवर्धन अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर कार्यवाही हेतु पैरा **1.16 के के कम में इस कार्यालय के पत्र कमांक 10238 दिनांक 30.10.23 (प्रति संलग्न) को दण्डात्मक राशि की गणना कर** यूजर एजेन्सी को प्रेषित कर दिया गया उक्तानुसार कार्यवाही कर दी गई है।

आप दिनांक 29.10.2024 को मिटिंग हेतु वन मंडल कार्यालय बारां में अधौहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित हुए थे इस दोरान उक्त प्रस्ताव के संबंध में अधौहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी देने के उपरान्त आपके मौखिक आदेश की पालना के कम में प्रकरण को आपके पार्ट पर (सी.सी.एफ) आनलाईन भेजा गया गया था । जिसमें [illegible] 05.11.2024 को इस स्तर से की जानी है। इसके पश्चात भी आप द्वारा प्रकरण को दिनांक

Signature valid
Digitally signed by Anil Kumar
Designation : Deputy Conservator of Forest
Date: 2024.11.07 1[illegible]:15:46 IST
Reason: Approved

E/PADTI TO BHATGAW ROAD 2023

RajKaj Ref No.: 11654778

Scanned with CamScanner

कार्यालय स्तर पर भेजा गया है। जो की उचित नही है। जिससे प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही में विलंब हो रहा है।

अतः इस कार्यालय का संदर्भित पत्र संलग्न कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः प्रेषित है।

संलग्नः :– उक्तानुसार

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2023–24/ 8695 दिनांक 8-11-24

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Yada
Designation : Deputy Conservator O
Forest
Date: 2024.11.07 18:15:46 IST
Reason: Approved

E/PADTI TO BHATGAW ROAD 2023

RajKaj Ref No.: 11654778

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

ई–मेल—ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel No 0141-2713949

क्रमांकः एफ. 14( )2019 / एफसीए / प्रमुवसं / 1284 दिनांक 22/5/24

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषयः–पाटडी से भटगांव रोड वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत
Proposal No. FP/RJ/ROAD/42427/2019 (1.5)

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 2042 दिनांक 23.04.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति दि. 22.07.2010 को जारी हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट 5 वर्ष बाद भी प्राप्त नही होने के कारण भारत सरकार द्वारा दिनांक 09.11.2015 को सैद्धान्तिक स्वीकृति रदद कर दी गयी।

भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 21.05.2018 से यूजर ऐजेन्सी प्रस्ताव में कार्य करने में इच्छुक है तो, नवीन प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने होते है। उप वन सरंक्षक द्वारा किन नियमों के अन्तर्गत मांग पत्र जारी किया गया, जबकि प्रकरण भारत सरकार पूर्व में ही रदद कर दिया गया था।

यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव पुनः (FP/RJ/ROAD/42427/2019) प्रस्तुत किया गया, जिस पर नवीन (वर्तमान) वन (संरक्षण एवं वनसंवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होगें। उक्त प्रस्ताव में वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुऐ पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन पर कार्यवाही हेतु पैरा 1.16 के अनुसार कार्यवाही करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2019 / एफसीए / प्रमुवसं / 1285 दिनांक 22/5/24

प्रतिलिपिः–उप वन संरक्षक, बारां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature valid
Digitally signed by Anil Kumar Yadav
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.11.07 18:15:46 IST
Reason: Approved

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

RajKaj Ref No.: 11654778

Scanned with CamScanner

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E:mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.-07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022–23/ 10938 दिनांक 30/10/23

निमित्तः– अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा।

विषय पाटड़ी से भटगाव सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/42427/2019 (1.5ha)

संदर्भः– MOEF & CC के सरकुलर दिनांक 29 जनवरी 2018 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में REC की बैठक अनुसार लगाई गई शर्त के कम में पेनल प्रोविजनल (दण्डात्मक प्रावधान) (MOEF & CC) के सरकुलर अनुसार दिनांक 29 जनवरी 2018 के अनुसार निम्नानुसार है।

1. 29 जनवरी 2018 के परिपत्र अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर आरोपित शास्ती

a उल्लंघन की दिनांक – 26.5.2008

b कुल प्रभावित क्षेत्रफल- 1.5 है0

c NPV की राशि– 957780 प्रति है0

d शास्ती की गणना 26 मई 2008 से 30 सितम्बर 2023 तक
1.5 X 5 X 957780 = 7183350 /-

E शास्ती की गणना 26 मई 2013 से 30 सितम्बर 2023 तक 12 % सामान्य ब्याज
7183350 x (12 /100) x (124/12) = 8907354 /-

f. कुल शास्ती - 7183350 + 8907354 = 16090704

2. यदि प्रस्ताव जन उपयोगी प्रस्ताव है तो गणना का 20% शास्ती के रूपदेय होगा और शास्ती

16090704 x (20 /100) = 3218141 /- होगी।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी FCA राज. जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

E/PADTI TO BHATGAW ROAD 2023

Signature valid
Digitally signed by Anil Kumar Yad
Designation : Deputy Conservator Forest
Date: 2024.11.07 18:15:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 11654778

Scanned with CamScanner